मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3261

16.12.2024 को उत्तर के लिए

प्रदूषित क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं

3261. डॉ. राजकुमार सांगवान :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों और कारखानों के आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य को बनाए रखने और उन्हें प्रदूषण संबंधी बीमारियों से बचाने के लिए कोई योजना बनाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे लोगों के स्वास्थ्य की जांच के लिए कोई दल तैनात किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से ऐसी कंपनियों के नजदीक स्थित गांवों में औषधालय खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऐसे औषधालयों के कब तक खोले जाने की संभावना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) से (छ): भारत सरकार ने प्रदूषण को कम करने तथा स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 को अधिनियमित किया है। इन अधिनियमों के प्रावधानों के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी)/प्रदूषण नियंत्रण प्रदूषण समितियों (पीसीसी) द्वारा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए विभिन्न नियमों और निदेशों को लागू किया जाता है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएण्डसीसी) ने पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-I के अंतर्गत "विभिन्न उद्योगों से पर्यावरण प्रदूषक तत्वों के उत्सर्जन या निस्सरण के लिए मानक" अधिसूचित किए हैं। पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986 की अनुसूची-VI के अंतर्गत यथा अधिसूचित

सामान्य मानक उन क्षेत्रों में लागू होते हैं, जहाँ औद्योगिक क्षेत्रों के लिए विशिष्ट मानक उपलब्ध नहीं हैं। संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी उक्त मानकों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करती हैं। सीपीसीबी ने अधिक प्रदूषण की संभावना वाले उद्योगों की सभी 17 श्रेणियों और साझा अपशिष्ट शोधन केन्द्रों को स्व-नियामक तंत्र और प्रदूषण के स्तरों की निरंतर निगरानी के माध्यम से निगरानी तंत्र को सुदृढ़ करने और प्रभावी रूप से मानकों का अनुपालन करने के लिए ऑनलाइन सतत बहि:स्राव/उत्सर्जन निगरानी प्रणाली (ओसीईएमएस) को स्थापित करने का निदेश दिया है। ओसीईएमएस के माध्यम से उद्योगों के बहि:स्राव और उत्सर्जन से उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण तत्वों के रियल - टाइम मान के संबंध में प्राप्त डेटा को 24x7 आधार पर सीपीसीबी और संबंधित एसपीसीबी / पीसीसी को ऑनलाइन प्रेषित किया जाता है। केंद्रीय सॉफ्टवेयर द्वारा डेटा को प्रोसेस किया जाता है और यदि प्रदूषक तत्व के मापदंड का मान निर्धारित पर्यावरणीय मानकों से अधिक है, तो एक स्वचालित एसएमएस अलर्ट सृजित होता है और उसे औद्योगिक इकाई, एसपीसीबी और सीपीसीबी को भेजा जाता है, ताकि उद्योग द्वारा तुरंत सुधारात्मक उपाय किए जा सकें और संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी/सीपीसीबी द्वारा उचित कार्रवाई की जा सके।

मूल आवेदन संख्या 60/2021 के मामले में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के दिनांक 11.06.2021 के निदेशों के अनुपालन में एमओईएफएण्डसीसी और सीपीसीबी द्वारा "खतरनाक रसायनों के निर्माण, भंडारण और आयात (एमएसआईएचसी) नियम, 1989 के अंतर्गत आने वाले अलग-अलग रासायनिक भण्डारों और उद्योगों के संबंध में रसायन सुरक्षा के लिए एकीकृत निर्देशन रूपरेखा" तैयार किया गया है। यह रूपरेखा प्रदूषण पैदा करने वाले कारखानों या खतरनाक रसायनों के बिखराव/रिसाव तथा खतरनाक रसायनों के रख-रखाव के कारण होने वाली आगजनी, विस्फोट या अन्य घटनाओं जैसी दुर्घटनाजनक परिस्थितियों को कवर करता है और 'भारतीय मानक, IS:14489:2018 व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य संवीक्षा संबंधी व्यवहार संहिता' के अनुपालन में सुरक्षा जांच करने के संबंध में औद्योगिक इकाइयों को मार्गदर्शन प्रदान करता है। औद्योगिक दुर्घटनाओं और रासायनिक आपात स्थितियों को रोकने के लिए, एमएसआईएचसी नियम, 1989 में उद्योगों द्वारा सुरक्षा जांच करने, ऑन-साइट आपातकालीन योजनाएँ तैयार करने, जिला प्राधिकारियों द्वारा ऑफ-साइट आपातकालीन योजनाएँ तैयार करने और इन तैयारियों का आकलन करने के लिए मॉक ड्रिल करने का प्रावधान किया गया है। एमएसआईएचसी नियम, 1989 और बृहत औद्योगिक दुर्घटना जोखिम नियंत्रण नियम संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य कारखाना निरीक्षक (सीआईएफ)/औद्योगिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य निदेशक (डीआईएसएच) द्वारा लागू किए जाते हैं।

केंद्र सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत पंजीकृत कारखानों में कार्यरत श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 भी अधिनियमित किया है। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत कारखानों के कब्जेदारों और प्रबंधकों को अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन करना अपेक्षित है। उल्लंघनों के किसी भी मामले में, राज्य सरकारों के मुख्य कारखाना निरीक्षक/औद्योगिक सुरक्षा और स्वास्थ्य निदेशालय को कारखानों के कब्जेदार और प्रबंधक के विरूद्ध दंडात्मक कार्रवाई आरंभ करने का अधिकार है।

*****